

11



R-1197-III/13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक- /2013 निगरानी

1. हरगोविन्द पुत्र श्री प्रीतम सिंह धाकड़
 2. रामप्रसाद पुत्र श्री प्रीतम सिंह धाकड़
 3. हरभजन पुत्र श्री प्रीतम सिंह धाकड़
- निवासीगण-ग्राम रातौर परगना व
जिला शिवपुरी (म०प्र०)

-----आवेदकगण

बनाम

1. माधौसिंह धाकड़ पुत्र स्व०श्री मंगल सिंह धाकड़, उम्र-42वर्ष, निवासी-ग्राम रातौर परगना व जिला शिवपुरी (म०प्र०)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म०प्र०)

-----अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

1959 विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 पारित

न्यायालय तहसीलदार परगना शिवपुरी मध्य प्रदेश प्रकरण

क्रमांक-35/12-13/अ-6-अ

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार

प्रस्तुत हैं:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-


- 1- यहकि, ग्राम रातौर तहसील जिला शिवपुरी में स्थित सर्वे क्रमांक-1775 रकवा 0.110 हैक्टेयर आवेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1197-तीन/13

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला शिवपुरी</u></p>	